भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

राष्ट्रीय परिषद सचिवालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली,

दिनांक: 22 अगस्त, 2022

राष्ट्रीय नैदानिक स्थापन परिषद के निर्माण भवन, नई दिल्ली स्थित सचिवालय में संविदा के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए (जिसे कार्य-निष्पादन के आधार पर एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है) निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**अर्हता**	**अनुभव**	**आयु वर्ग**	**समेकित पारिश्रमिक प्रतिमाह**
वरिष्ठ सॉफ्टवेयर डेवलपर/ परामर्शदाता (आईटी)	2	कंप्यूटर विज्ञान(सीएस)/सूचना प्रद्योगिकी(आईटी)/इलैक्ट्रॉनिक्स और कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग (ईसीई) में बी.ई./बी.टैक./एम.टैक या समक्ष या एमसीए/डीओईएसीसी ('बी' या 'सी' लेवल) कंप्यूटर में विशेषज्ञता के साथ या समक्ष या गणित/भौतिकी/संख्यिकी/संचालन अनुसंधान(ऑपरेशन रीसर्च)/कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रद्योगिकी/कंप्यूटर में विशेषज्ञता के साथ इलैक्ट्रॉनिक्स में एमएससी/एमफिल/पीएचडी या समक्ष या बी.ई./बी.टैक./एमसीए/एम.टैक के साथ भौगोलिक सूचना विज्ञान (जीआईएस)/भूगोल/भूविज्ञान और	5 से 7 वर्ष से कम का संगत अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ; 7 से 9 वर्ष से कम का संगत अनुभव प्रमाण-पत्र के बिना	30 से 60 वर्ष	60,000/- रुपये

		रिमोट सेंसिंग में विशेषज्ञता या समक्ष (केवल वरिष्ठ डेवलपर-जीआईएस के मामले में लागू)			

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन-पत्र के साथ बायोडाटा और योग्यता एवं अनुभव संबंधी दस्तावेजों की प्रतिलिपियों को ई-मेल द्वारा help.ceact2010@nic.in पर इस विज्ञापन के वेबसाईट पर प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर भेज सकते हैं। शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए www.mohfw.gov.in या www.clinicalestablishments.gov.in वेबसाईट देखें।

<u>वरिष्ठ सॉफ्टवेयर डेवलपर/परामर्शदाता(आईटी) की 2 रिक्तियों के विचारार्थ विषय</u>

सामान्य विचारार्थ विषय	1. वरिष्ठ सॉफ्टवेयर डेवलपर/परामर्शदाता(आईटी) की नियुक्ति पूर्ण रूप से संविदा के आधार पर, नियुक्ति की तारीख़ से एक वर्ष के लिए होगी और वरिष्ठ सॉफ्टवेयर डेवलपर अपनी नियुक्ति के नियमितीकरण के लिए कोई दावा नहीं करेंगे । 2. वरिष्ठ सॉफ्टवेयर डेवलपर/परामर्शदाता(आईटी) संविदाकर्मियों पर लागू केन्द्रीय सरकार/स्वास्थ्य मंत्रालय के सामान्य प्रशासनिक नियमों से बाध्य होंगे और वह यथानुपात आधार पर एक कलैंडर वर्ष में 30 दिनों का अवकाश लेने के हकदार होंगे। अतिरिक्त अवकाश लेने पर वेतन से कटौती की जाएगी। परामर्शदाता को प्रतिदिन अपनी हाजिरी दर्ज करनी होगी । 3. नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर होगी जिसमें कार्य का समय प्रात: 9:30 से शाम 6:00 बजे तक होगा । 4. वरिष्ठ सॉफ्टवेयर डेवलपर/परामर्शदाता(आईटी) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के नियंत्रणाधीन होंगे और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में अपर उप महानिदेशक (एके) को रिपोर्ट करेंगे । आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त सचिव (आर), राष्ट्रीय परिषद के सचिव या उनके प्रतिनिधि द्वारा भी उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है । 5. परामर्शदाता को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी । 6. कार्य-निष्पादन की मासिक आधार पर समीक्षा की जाएगी और प्रगति असंतोषजनक पाये जाने पर संविदा समाप्त की जा सकती है। 7. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस संविदा को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है । 8. परामर्शदाता एक माह का नोटिस दे कर संविदा को समाप्त कर सकते हैं। ऐसा न करने पर एक माह का वेतन जब्त कर लिया जायेगा। 9. उन्हें 60,000 रुपये प्रति माह का समेकित पारिश्रमिक दिया जाएगा । 10. वरिष्ठ सॉफ्टवेयर डेवलपर/परामर्शदाता(आईटी) बाहरी आधिकारिक दौरों के लिए वही टीए/डीए पाने का हकदार होगा जोकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के दिनांक 2 सितंबर, 2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ज़ेड.28015/10/2017-स्थापना-II में परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए दिये गये दिशा-निर्देश और प्रक्रियाओं के अनुसार प्रमुख परामर्शदाता के

	लिए लागू हैं।
विशेष विचारार्थ विषय	11. नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण, जिसमें सुरक्षा ऑडिट, स्थाई रजिस्ट्रीकरण और ऑन-लाईन भुगतान प्रणाली शामिल है, के लिए ऑन-लाईन प्रणाली विकसित करने में सहायता करना । 12. राष्ट्रीय परिषद की वेबसाईट का विकास, रख-रखाव करना और नियमित रूप से अपडेट करना। 13. नैदानिक स्थापनों के पंजीकरण और विनियमन के लिए डिजिटल फॉर्मेट का विकास करना। 14. नैदानिक स्थापनों के बारे में पंजीकरण संबंधी जानकारी को जिले-वार/राज्य-वार और राष्ट्रीय स्तर पर एकत्र, संकलित एवं विश्लेषण करना और रिपोर्ट तैयार करना। 15. नैदानिक स्थापनों से एकत्र किये गये आंकड़ों को संग्रहीत, संकलित एवं विश्लेषण करना और रिपोर्ट तैयार करना। 16. आईटी से संबंधित सभी मामलों के संबंध में तकनीकी जानकारी प्रदान करना। 17. राज्य स्तरीय आईटी कर्मचारियों और अन्य उपयोगकर्ताओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना। 18. वेबपोर्टल से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), एनआईसीएसआई, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और जिला प्राधिकरणों और अन्य संबंधित हितधारक के साथ समन्वय और संपर्क बनाए रखना। । 19. सभी संसदीय मामलों, प्रश्नों और आरटीआई मामलों के उत्तर तैयार करने में सहायता करना। 20. जरूरत पड़ने पर क्षेत्रों का दौरा करना । 21. राष्ट्रीय नैदानिक स्थापन परिषद/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/केंद्रीय सरकार द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।